72

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम. गोपाल रेड्डी,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी 763-एक/16 विरुद्ध आदेश दिनांक 24.02.2016 पारित द्वारा तहसीलदार केवलारी जिला सिवनी प्रकरण क्रमांक 39/अ-27/2013-14

तारेन्द्र कुमार पाठक आ0 स्व0 श्री रामप्रसाद पाठक
उम्र लगभग 66 वर्ष, पिचसयी ग्राम डोकररांजी,
प0ह0नं0 17 रा0नि0मं0 केवलारी तह0 केवलारी
जिला सिवनी (म.प्र.) ....**आवेदक**

विरुद्ध

1. श्रीमती ज्योति पाठक पत्नि पुष्पेन्द्र पाठक, उम्र लगभग 28 वर्ष निवासी पी0डब्ल्यू0डी0 कॉलोनी बारापत्थर सिवनी
2. श्रीमती जागृति पत्नि जगदीश तिवारी उम्र लगभग 25 वर्ष निवासी ग्राम नक्शी (किरनापुर) तह0 लांजी जिला बालाघाट
3. श्रीमती संध्या तिवारी पत्नि राजेश तिवारी उम्र लगभग 24 वर्ष निवासी ग्राम पिपरिया कला, खैरापलारी तह0 केवलारी जि0 सिवनी
4. श्रीमती साधना दीक्षित पत्नि संतोष दीक्षित, उम्र लगभग 23 वर्ष निवासी मकान नं0 1629 हाथीताल, लक्ष्मी कॉलोनी, पुराना पान बरेजा तह0 व जिला जबलपुर ....**अनावेदकगण**

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री पी.एन. मिश्रा
अनावेदक शासन की ओर से अधिवक्ता श्री पी.के. तिवारी

आदेश

(आज दिनांक 22/03/2018 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार केवलारी जिला सिवनी प्रकरण क्रमांक 39/अ-27/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 24.02.2016 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश

की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण की मां श्रीमती मुन्नीबाई द्वारा ग्राम डोकररांजी पटवारी हल्का नं. 26 राजस्व निरीक्षक मण्डल केवलारी स्थित भूमि खसरा नं. 279 रकवा 0.02 हे., 299 रकवा 0.02 हे., 302 रकवा 1.55 हे. एवं 472 रकवा 1.50 हे. का बंटवारा किए जाने हेतु एक आवेदन तहसीलदार केवलारी के समक्ष प्रस्तुत किया। जिस पर कार्यवाही के दौरान तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 24.02.2016 द्वारा अनावेदकगण की मां श्रीमती मुन्नीबाई की मृत्यु हो जाने के कारण उनकी पुत्रियों को पक्षकार बनाये जाने हेतु आवेदन स्वीकार किया। तहसीलदार के उक्त आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि वर्ष 1994-95 में अनावेदकगण की मां ने पुनरीक्षणकर्ता के विरुद्ध विवादित भूमियों के बंटवारा हेतु एक आवेदन प्रस्तुत किया था। यह प्रकरण दिनांक 26.10.1995 को अनावेदकगण की मां ने अपनी अनुपस्थिति में यह कहकर खारिज करा लिया कि पुनरीक्षणकर्ता से उसका राजीनामा हो गया है। इस प्रकार प्रकरण का अंतिम निराकरण किया जा चुका है तथा अब अनावेदकगण की मां पुन: बंटवारा हेतु प्रकरण प्रस्तुत नहीं कर सकती है। उसके द्वारा प्रस्तुत आवेदन प्रचलन योग्य नहीं है और उक्त आवेदन-पत्र पर अनावेदकगण को जो पक्षकार बनाया गया है वह आदेश भी प्रथम दृष्टया ही पोषणीय नहीं है एवं निरस्त किए जाने योग्य है।

उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय की यह निष्पत्ति त्रुटिपूर्ण है कि अनावेदकगण मृत मुन्नीबाई के स्थान पर विधिक वारिसान हैं। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय को यह देखना उचित होता कि संहिता की धारा-178 रिकॉर्डेड भूमि स्वामी के मध्य बंटवारा के संबंध में प्रावधानित है। अनावेदकगण की ओर से आवेदन प्रस्तुत कर उक्त प्रकरण में मृत आवेदिका के स्थान पर पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया गया है जो कि वैधानिक रूप से उचित नहीं है और ना ही उक्त प्रकरण अब बंटवारा कार्यवाही किए जाने योग्य बचा है, क्योंकि अनावेदकगण रिकॉर्डेड भूमि स्वामी नहीं है। उक्त संबंध में पहले वारिसान कार्यवाही कर उत्तराधिकारी के आधार पर फौती दर्ज कराकर नामांतरण किया जाना आवश्यक है तथा उक्त प्रकरण में दो कार्यवाहियां एक साथ अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नहीं की जा सकती हैं,

क्योंकि धारा-178 केवल बंटवारा किए जाने संबंधी प्रावधानों का उल्लेख करती है। उक्त प्रकरण में नामांतरण और बंटवारा दोनों कार्यवाही किया जाना आज्ञात्मक प्रावधानों के अनुसार वैधानिक नहीं है। इस कारण उक्त प्रकरण को निरस्त किया जाकर अनावेदकगण को पहले उक्त प्रकरण में फौती नामांतरण करवाये जाने संबंधी निर्देश दिये जाना न्यायहित में न्यायोचित होता, परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में एक साथ दो कार्यवाही कर विधि के आज्ञापक प्रावधानों का उल्लंघन किया है।

4. अनावेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही उचित, न्यायिक एवं विधि सम्मत होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है। अतः इस न्यायालय में प्रस्तुत निगरानी को निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

5. उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण भूमिस्वामी मुन्नीबाई उर्फ पारवती जोजे विजयकुमार द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर पंजीबद्ध किया गया है । प्रकरण में कार्यवाही के दौरान मुन्नीबाई की मृत्यु हो जाने के कारण मुन्नीबाई के अधिवक्ता द्वारा आदेश 22 नियम 3 (1) का स्वीकार करते हुए मृतका के वैध वारिसार (अनावेदकगण) को प्रकरण में समाविष्टकियेजाने के आदेश दिए हैं जो अपने स्थानपर उचित आदेश है । आवेदक की ओर से जो तर्क निगरानी आवेदन में दिए गए हैं उनका निराकरण गुणदोष पर ही हो सकता है । चूंकि प्रकरण का निराकरण गुणदोषपर अधीनस्थ न्यायालय में होना है जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है । ऐसी स्थिति में इस स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है ।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर